

अर्थात् सं. 37 रकम 1.4080 है. मुझे मे शरी
 का हिस्सा 3/4 एक हिस्से की मुझे का विक्रय
 मील एवं बाहुनल बन्धी से बन्धी व मुरी के
 मुरी व सबसे नुसार डिमे जाने हेतु तहसीलदार
 सा. बेगम को 1000/- शुल्क पर समित्त
 सिपुस डिमा जाकर पार्क व टवारा रिपोर्ट
 पेश करते हेतु का लिख पावे। पत्रावली
 में उरी पत्रा बन्धा से कायम डिमा जाकर
 शामिल पत्रावली डिमा जाया। पत्रावली में
 पालना रिपोर्ट डिमा 31/7/18 को पेश है।

सहायक कमिश्नर
 (अनुसूचित अधिकारी)
 बरेilly (मिर्जापुर)

09/07/2018

पत्रावली आज पेशी पर ली गयी। श्री 37
 सिपुस, मुक्त हुक्मदारी द्वारा प्राथमिक डिमा
 आदेश की पालना में एक वंटकार रिपोर्ट
 मय लम्बा देस पेश की गयी। एक वंटकार
 रिपोर्ट का आवलोकन, अनन विमा जाकर
 शामिल पत्रावली किया गया। एक वंटकार
 रिपोर्ट अनुसूचित दावा अतिम डिमा किया
 जाया सम्बन्धित है।
 अतः तहसीलदार नेत्रों को आदेशा किने
 जाते हैं कि एक वंटकार रिपोर्ट अनुसूचित
 मीमा अंपरिया कला की आदेशी संख्या
 97. (मिना-1) रकम = 1.4080 है श्रमि में
 मरी का हिस्सा 3/4 एवं प्रागेपारीक संख्या
 1 व 2 का हिस्सा 1/4 अनुसूचित राजस्व
 रेकर्ड में अमल वनामद किया जावे।
 अतिम डिमा पत्रा वृत्तक से नुसार किया
 जाकर शामिल मिल ल है। उकी शरि
 पालनाके सिपुस रूप से नुसार की जाकर
 तहसीलदार नेत्रों को पेश जावे। पत्रावली
 पालना अनुसूचित लेकर नंबर से कम लेकर
 कापील वापस ली।

सहायक कमिश्नर
 (अनुसूचित अधिकारी)
 बरेilly (मिर्जापुर)

FORM No.III
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत मुकाम

श्री निरंजन (पीएम) लि. बनाम श्री. निरंजन

करम मुकदमा 53 R.T. Act नं० 62/2018 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

पुनर्वक

इतना लिखत पर आदिद अहकाम कि इन्ही पन्ना पूर्ण विकल्प आदिद जारी कर्षी हुका है। फर्द के कुरा रिपोर्ट अकुरा इन्ही पन्ना (संशोधित) तयार किया जाकर सम्बन्धित जिल्ला हो। प्रति आलनाथ उल्मीवत केन्द्र ने ही आदि। धनवली कौशल सुगर हो।

सहायक कलेक्टर
 (उपस्थान्त अधिकारी)
 सेनू (चित्तौड़गढ़)